



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072026-274080  
CG-DL-E-04072026-274080

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3416]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2026/आषाढ 10, 1948

No. 3416]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ASHADHA 10, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2026

का.आ. 3551(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1971(अ) तारीख 20/04/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के बिलासपुर जिले में NH205 के कि.मी. 42.100 से कि.मी.56.770 ( एसडीएम बिलासपुर ) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 08/05/2026 को "दिव्या हिमाचल" , 08/05/2026 को "टाइम्स ओएफ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

### अनुसूची

हिमाचल प्रदेश राज्य के बिलासपुर जिले में NH205 के कि.मी. 42.100 से कि.मी.56.770(एसडीएँम बिलासपुर ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: हिमाचल प्रदेश			जिले का नाम: बिलासपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बिलासपुर सदर					
गांव का नाम: घयाल (11)					
1	644/570/76	निजी (बंजर कदीम, बगीचा, गै.मु. आबादी)	एग्रीकल्चर	0.0075	कुल (3) भाग , छोटा राम पुत्र चंदू पुत्र नारायणु (1/3) भाग , कृष्ण लाल पुत्र छोटा राम पुत्र चंदू (1/3) भाग , रविंदर कुमार पुत्र छोटा राम पुत्र चंदू (1/3) भाग 644/570/76/1
2	811/667/280/3	निजी (बंजर कदीम , गै.मु.मलबा)	एग्रीकल्चर	0.056	कुल (1864) भाग , सुखराम पुत्र जवाहर पुत्र धुगल (908/1864) भाग, हेमराज पुत्र कृष्णु उर्फ कृष्णलाल (239/1864) भाग , राजेश कुमार पुत्र कृष्णु उर्फ कृष्णलाल (239/1864) भाग, सानिया पुत्री कृष्णु उर्फ कृष्णलाल (239/1864) भाग , श्रीमती कमला विधवा कृष्णु उर्फ कृष्णलाल (239/1864) भाग 811/667/280/3
तालुक का नाम: नम्होल					
गांव का नाम: खलोटा (28)					
3	192	निजी (बंजर कदीम , गै.मु.मलबा , बीड खडैतर)	एग्रीकल्चर	0.029	कुल (696) भाग धर्मपाल पुत्र दिलाराम (12/696 ) भाग , नानक राम पुत्र हरिराम पुत्र नरेणु (450/696 ) भाग , चेताराम पुत्र

					हरिराम पुत्र नरेणु (58/696 ) भाग , जोगिंदर पाल पुत्र हरिराम (58/696 ) भाग , मनोज कुमार पुत्र बाबू राम (58/696 ) भाग , रतन लाल पुत्र बुधिराम (3/696 ) भाग , रतीराम पुत्र बुधिराम (3/696 ) भाग , रमेश चंद पुत्र बुधिराम पुत्र मसदी (3/696 ) भाग , रोशन लाल पुत्र बुधिराम पुत्र मसदी (3/696 ) भाग , जगदीश कुमार पुत्र लेखराम पुत्र लोभी (16/696 ) भाग , रामपाल पुत्र लेखराम पुत्र लोभी (16/696 ) भाग , श्रीमती फूला देवी पुत्री लेखराम पुत्र लोभी (16/696 ) भाग 192/1
4	192	निजी (बंजर कदीम , गै.मु.मलवा , बीड खडेतर्)	एग्रीकल्चर	0.0011	कुल (696) भाग धर्मपाल पुत्र दिलाराम (12/696 ) भाग , नानक राम पुत्र हरिराम पुत्र नरेणु (450/696 ) भाग , चेताराम पुत्र हरिराम पुत्र नरेणु (58/696 ) भाग, जोगिंदर पाल पुत्र हरिराम (58/696 ) भाग , मनोज कुमार पुत्र बाबू राम (58/696 ) भाग , रतन लाल पुत्र बुधिराम (3/696 ) भाग , रतीराम पुत्र बुधिराम (3/696 ) भाग , रमेश चंद पुत्र बुधिराम पुत्र मसदी (3/696 ) भाग , रोशन लाल पुत्र बुधिराम पुत्र मसदी (3/696 ) भाग , जगदीश कुमार पुत्र लेखराम पुत्र लोभी (16/696 ) भाग , रामपाल पुत्र लेखराम पुत्र लोभी (16/696 ) भाग , श्रीमती फूला देवी पुत्री लेखराम पुत्र लोभी (16/696 ) भाग 192/2
<b>Total</b>				<b>0.0936</b>	

[फा. सं. 11016/2/88/Cala Arki/Pkg-II/2022/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st July, 2026

**S.O. 3551(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **1971(E) Dated : 20/04/2026** published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH205 in the stretch of land from Km. 42.1 to Km. 56.770 (SDM Bilaspur) in the district of BILASPUR in the state of HIMACHAL PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “Divya himachal ” dated 08/05/2026 , “Times of india” dated 08/05/2026 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

**Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH205 in the stretch of land from Km. 42.100 to Km. 56.770 (SDM Bilaspur) in the district of BILASPUR in the state of HIMACHAL PRADESH**

State: HIMACHAL PRADESH			District: BILASPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Bilaspur Sadar</b>					
<b>Village: Ghayal (11)</b>					
1	644/570/76	Private (Banjar Kadeem, Bagicha ,G.M. Abadi)	Agriculture	0.0075	Total (3) shares . Chota ram s/o Chandu S/o Naryanu (1/3)shares , Krishan Lal S/o Chota ram S/o Chandu (1/3)shares , Ravinder Kumar S/o Chota ram S/o Chandu (1/3)shares 644/570/76/1
2	811/667/280/3	Private (Banjar Kadeem , G.M.Malba)	Agriculture	0.056	Total ( 1864) shares . Sukhram S/o Jawahar S/o Dhugal ( 908/1864) shares , Hemraj S/o Krishnu Alias Krishanlal ( 239/1864) shares , Rajesh Kumar S/o Krishnu Alias Krishanlal ( 239/1864) shares , Saniya D/o Krishnu Alias Krishanlal ( 239/1864) shares , Smt. Kamla wd/o Krishnu Alias Krishanlal ( 239/1864) shares 811/667/280/3
<b>Taluk: Namhol</b>					
<b>Village: Khalota (28)</b>					
3	192	Private (Banjar Kadeem , G.M.Malba , Beed	Agriculture	0.029	Total (696) shares . Dharam pal s/o dila ram (12/696) shares , (450/696) shares Nanak Ram S/o Hari Ram S/o Naryanu

		Khadetar ,)			(450/696) shares , Chetram S/o Hari Ram S/o Naraynu (58/696) shares ,Joginder Pal S/o Hari Ram (58/696) shares , Manoj Kumar S/o Babu Ram (58/696) shares , Ratan Lal S/o Budhi Ram (3 /696) shares , Ratiram S/o Budhi Ram (3 /696) shares , Ramesh Chand S/o Budhi Ram S/o Masdi (3 /696) shares , Roshan Lal S/o Budhi Ram S/o Masdi (3 /696) shares , Jagdish kumar S/o Lekh ram S/o Lobhi (16/696) shares , Rampal S/o Lekh ram S/o Lobhi (16/696) shares , Smt. Fulla devi D/o Lekh ram S/o Lobhi (16/696) shares 192/1
4	192	Private (Banjar Kadeem , G.M.Malba , Beed Khadetar ,)	Agriculture	0.0011	Total (696) shares . Dharam pal s/o dila ram (12/696) shares , (450/696) shares Nanak Ram S/o Hari Ram S/o Naryanu (450/696) shares , Chetram S/o Hari Ram S/o Naraynu (58/696) shares ,Joginder Pal S/o Hari Ram (58/696) shares , Manoj Kumar S/o Babu Ram (58/696) shares , Ratan Lal S/o Budhi Ram (3 /696) shares , Ratiram S/o Budhi Ram (3 /696) shares , Ramesh Chand S/o Budhi Ram S/o Masdi (3 /696) shares , Roshan Lal S/o Budhi Ram S/o Masdi (3 /696) shares , Jagdish kumar S/o Lekh ram S/o Lobhi (16/696) shares , Rampal S/o Lekh ram S/o Lobhi (16/696) shares , Smt. Fulla devi D/o Lekh ram S/o Lobhi (16/696) shares 192/2
<b>Total</b>				<b>0.0936</b>	

[F. No. 11016/2/88/Cala Arki/Pkg-II/2022/3D]  
SHAIKH AMINKHAN, Director